भारत सरकार के मुद्रणालयों के कम्पोजिटर

8745. **श्री ना० स्व० शर्मा :**
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जि० ब० सिंह :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय वेतन आयोग ने भारत सरकार के मुद्रणालयों के कम्पोजिटर के पद को उच्च स्तर का कुशल पद घोषित किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस संबंध में निर्णय करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ;

(घ) क्या वेतन आयोग की नियुक्ति के बाद कम्पोजिटरों को उच्च वेतन-मान देने के संबंध में किये गये निर्णय के अनुसार सब कम्पोजिटरों को वेतन दिया गया है ;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(च) क्या सरकार का विचार सभी कम्पोयजिटरों को उच्च वेतनमान देने का है, क्योंकि उनके पद को उच्च स्तर का कुशल पद घोषित किया गया है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). औद्योगिक कर्मचारियों को अकुशल, अर्धकुशल, कुशल, अत्यधिक कुशल तथा पर्यवेक्षकीय श्रेणीकरण के पुनरीक्षण के लिए 1963 में एक समिति स्थापित की गयी जो कि भारत सरकार के मुद्रणालय के कर्मचारियों के श्रेणीकरण की समिति (कमेटी फार केटेगोराइजेशन आफ दि गवर्नमेंट आफ़ इन्डिया प्रेस वर्कस) के नाम से जानी जाती है। कम्पोजीजरों की श्रेणी को "कुशल" में वर्गीकृत किया है। समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि अत्यधिक कुशल वर्ग में उन कम्पोजिटरों की एक श्रेणी अलग से बना दी जाये जो कि वैज्ञानिक तथा गणतीय प्रबन्धों के कम्पोजिशन के कार्य से संबंधित है। तदनुसार अत्यधिक कुशल वर्ग में 150–205 के वेतन मान में कम्पोजीटरों की, कम्पोजीटर ग्रेड I के नाम से अत्यधिक कुशल श्रेणी बना दी गयी है।

(घ) तथा (ङ). श्रेणीकरण समिति (कैटेगोराइजेशन कमेटी) की वे सिफारिशें जो कि द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों से भिन्न हैं, 2 जनवरी, 1966 से लागू कर दी गयी हैं।

(च) वे केवल ग्रेड I के कम्पोजीटर हैं जिन्हें कि अत्यधिक कुशल वर्गीकृत कर दिया गया है तथा उन्हें अधिक उच्च वेतन मान दिया जा चुका है।

भारत सरकार के मुद्रणालयों में जिल्दसाज

8746. **श्री ना० स्व० शर्मा :**
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जि० ब० सिंह :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के मुद्रणालय में बन्धकों को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है जबकि उनके कार्य एक जैसे ही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) तथा (ख). 1 जनवरी, 1966 से पहले, रु. 100–3–130 के वेतन मान में जिल्दसाजों